यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिखडीखाल, पौडी गढवाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिखडीखाल, पौडी गढवाल** के माह 04/2012 से माह 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 21.02.2019 से 25.02.2019 तक श्री राज बहादुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मक**:– इस इकाई की लेखापरीक्षा आहरण एवं संवितरण अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त प्रथम बार सम्पादित की जा रही है तथा वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– इकाई द्वारा चिकित्सालय में आये विकास खण्ड के ग्रामीण एवं शहरी रोगियों को प्राथमिक एवं द्वितीयक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करना।

3. (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2012-13	0.00	0.00	150.05	147.38	2.67	0.60	0.60	0
2013-14	0.00	0.00	189.04	187.98	1.06	1.35	1.35	0
2014-15	0.00	0.00	255.16	253.14	2.02	0.57	0.57	0
2015-16	0.00	0.00	204.30	204.30	0	0.71	0.71	0
2016-17	0.00	0.00	238.14	222.95	15.19	0.30	0.30	0
2017-18	0.00	0.00	246.94	241.80	5.14	0.30	0.30	0
2018-19 (Up to 01/19)	0.00	0.00	287.36	236.95		0.40	0.22	

नोट– स्थापना मद की वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशि शासन को समर्पित की गयी।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

Year	Name of Schemes	OB	Receipt	Total	Expenditure	CB
2012-13	NHM	2.00	39.00	41.00	35.72	5.28
2013-14		5.28	32.36	37.64	30.33	7.31
2014-15		7.31	43.47	50.78	34.71	16.07
2015-16		16.07	48.18	64.25	47.02	17.23
2016-17		17.23	78.05	95.28	77.65	17.63
2017-18		17.63	68.41	86.04	64.39	21.65
2018-19 (up to 01/2019)		21.65	20.31	41.96	32.25	9.71

(iii) इकाई को बजट आबंटन **महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ ...**सी**...श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ⟶ महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ⟶ निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पौडी ⟶ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी ⟶ प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिखडीखाल, पौडी गढवाल।

(iv)**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा में **प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिखडीखाल, पौडी गढवाल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिखडीखाल, पौडी गढवाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2014, 03/2017, 03/2018 एवं 09/2018** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा प्रबन्धन समिति से किये सभी व्यय, एवं स्थापना मद आदि का विष्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत अनटाईड फण्ड मद में धनराशि रु0 11.76 लाख का व्यय किया जाना सुनिश्चित किये बिना ही जनपद को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय प्रबन्धन दिशानिर्देश के बिन्दु 7.2.4 के अनुसार व्यय विवरण Books of Accounts के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। चिकित्सालयों द्वारा व्यय विवरण चिकित्साधिकारी अथवा आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं वित्तीय प्रभारी द्वारा प्रदान किया जाएगा। व्यय विवरण में अग्रिम में प्रदान की गयी धनराशि को व्यय के रुप में नहीं दर्शायी जाएगी, व्यय विवरण में केवल वास्तविक रुप से किये गये व्यय को ही दर्शाया जाएगा।

कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिखडीखाल चिकित्सालय से सम्बद्ध उपकेन्द्रों एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वर्ष 2012–13 से 2018–19 के दौरान प्रदान की गयी अनटाईड फण्ड एवं प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि उपरोक्त अवधि में विकास खण्ड के अन्तर्गत कार्यरत 14 उपकेन्द्रों, 01 अतिरिक्त प्रा. स्वा.केन्द्र एवं सा. स्वास्थ्य केन्द्र, रिखडीखाल को अनटाईड निधि के रुप में धनराशि रु0 31.69 लाख अवमुक्त किया गया था। कार्यालय द्वारा उपकेन्द्रों एवं अन्य चिकित्सालयों को आवंटित सम्पूर्ण धनराशि को व्यय मानते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण सम्मिलित रुप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशानिर्देशों का उलंघन करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाता है। जबकि प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण की जॉच में पाया गया कि सभी चिकित्सालयों द्वारा वर्तमान तक रु0 19.93 लाख की धनराशि का ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया गया था। इस प्रकार से कार्यालय द्वारा धनराशि रु0 11.76 लाख का व्यय किया जाना सुनिश्चित किये बिना ही उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जनपद कार्यालय को प्रेषित किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि भविष्य में उपकेन्द्रों को आवंटित धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पश्चात ही उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा।

अतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत अनटाईड फण्ड मद में धनराशि रु0 11.76 लाख का व्यय किया जाना सुनिश्चित किये बिना ही उपयोगिता प्रमाण पत्र जनपद कार्यालय को प्रेषित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर:2- चिकित्सालय में राज्य बजट की रोकड़ पुस्तिका का संधारण नहीं किया जाना तथा संप्रेक्षा को ₹ 9.62 लाख के वाउचर प्रस्तुत नहीं किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका Vol V के प्रावधानों के अनुसार शासकीय कर्मचारी द्वारा उसकी शासकीय क्षमताओं के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय में फॉर्म संख्या 2 में एक साधारण रोकड़ पुस्तिका रखी जाएगी, जिसमे कोषालय और बैंक से निकाले गए प्रत्येक धन निकासी तथा उसके वितरण की प्रविष्टि की जाएगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रिखनीखाल के रोकड़ बही संबंधी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि राज्य बजट के संबंध में नवंबर 2017 से कोई प्रविष्टि नहीं है जबकि जनवरी 2017 से अक्तूबर 2017 तक Nil प्रविष्टि है, रोकड़ बही के अधिकांश पृष्ठों पर चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त कार्यालय द्वारा व्यय की विस्तृत जांच के लिए चयनित माह मार्च 2014 के निम्नलिखित वाउचर संप्रेक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए।

माह	विवरण	राशि
03/2014	दाई का भुगतान	67200
	बिजली का बिल	4050
	डीजल का बिल	10000
	यात्रा बिल	7083 +5000=12083
	वेतन (डा अरुण बिष्ट)	64800
	वेतन (सुनील शर्मा)	140400
	एएनएम एरिअर	146880
	एएनएम एरिअर	156676
	एएनएम एरिअर	261896
	वेतन (डा अरुण बिष्ट)	64800
कुल योग		9,28,785

इसके अतिरिक्त एनआरएचएम की रोकड़ बही की जांच में निम्न वाउचर संप्रेक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए

क्रम संख्या	भुगतान दिनांक	योजना का नाम	धनराशि
01	31.03.2017	Additionality	11000
02	31.03.2017	Immunization	4290
03	31.03.2018	Immunization	4371
04	31.03.2017	RCH	7600
05	31.03.2018	RCH	1120
06	31.03.2018	RCH	5000
कुल योग			33381

इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि भविष्य में सभी लेनदेनों का इंदराज रोकड़ बही में किया जाएगा तथा संदर्भित अवधि के उपरांत रोकड़ बही अद्यतन कर ली जाएगी , तथा इंगित वाउचरो को संप्रेक्षा को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01:– निष्प्रोज्य पड़ी सामग्री का निस्तारण विगत 06 वर्षो से न होने से राजस्व की हानी।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 06 के प्रस्तर 189 एवं 190 के प्रावधानों के अनुसार जैसे ही यह तथ्य प्रकाश में आये कि स्टोर की कोई सामग्री निष्प्रयोज्य हो गयी है तो तत्काल फार्म 18 के प्रारुप में एक रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को दी जाएगी। इसके पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लोक नीलामी द्वारा बिक्री कर सामग्री का समायोजन किया जाएगा तथा निलामी से प्राप्त धनराशि को चालान के माध्यम से राजकोष में जमा किया जाएगा।

कार्यालय प्रभारी चिकित्साअधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिखणीखाल जनपद पौड़ी के स्टाक अभिलेखों एवं उपलब्ध करायी गयी निष्प्रयोजय सामग्रियों की सूची की जाचॅ में पाया गया कि चिकित्सालय में विगत 02 से लेकर 6 वर्षो तक से 68 प्रकार से 123 चिकित्सा उपकरण एवं फर्नीचर निष्प्रोज्य पड़ी हुई है। **(सूची** सलग्नक)। जबकि नियमानुसार निष्प्रयोज्य साम्रगी के निस्तारण समय–समय पर किया जाना चाहिऐ था। ऐसा न करने से सामग्री के मुल्य में निरन्तर हास् से इनकार नही किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने कहा कि निष्प्रयोज्य सामग्री की शीध्र नीलामी की जाऐगी तथा सम्प्रेक्षा को सूचित किया जाऐगा। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्याकि सामग्री विगत 06 वर्षो से निष्प्रोज्य पड़ी हुई है जिसका निरन्तर ह्रास हो रहा है। जबकि नियमानुसार यदि समाग्री का समयनुसार निस्तारण होता जाता तो अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती।

अतः **विगत 06 वर्षो से निष्प्रोज्य पड़ी सामग्री का निस्तारण न होने से राजस्व की हानी होने** का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2 : चिकित्सालय के यूजर चार्जेस की राशि ₹ 3.38 लाख को विलंब से जमा किया जाना।

वित्तीय नियमों के अनुसार शासकीय धन को यथाशीघ्र शासकीय खाते में जमा कर देना चाहिए।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रिखनीखाल के यूजर चार्जेस संबंधी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि केंद्र में रोगियों के पंजीकरण शुल्क से प्राप्त यूजर चार्जेस को राजकोष में अत्यधिक विलंब (04 माह से 12 माह तक) से जमा किया जा रहा है। कुछ उदाहरण निमन्वत हैं।

अवधि	जमा की तिथि	राशि	अधिकतम विलंब (माह में)
16.03.2012 से 15.09.2012	27.04.2013	17026	12
16.09.2012 से 15.12.2012	29.07.2013	9080	10
16.12.2012 से 15.08.2013	17.10.2013	25523	10
16.08.2013 से 15.02.2014	04.04.2014	22867	7
16.02.2014 से 15.09.2014	27.10.2014	30559	08
16.02.2015 से 31.07.2015	06.05.2016	23354	14
01.08.2015 से 31.12.2015	16.05.2016	23475	9
01.01.2016 से 30.04.2016	04.06.2016	17975	5
01.05.2016 से 30.09.2016	27.04.2017	30393	11
01.10.2016 से 28.02.2017	27.04.2017	17628	6
01.03.2017 से 30.06.2017	27.12.2017	16878	9
01.07.2017 से 30.11.2017	27.12.2017	25154	5
01.12.2017 से 31.05.2018	20.02.2019	32264	6
01.06.2018 से 30.09.2018	20.02.2019	26805	8
01.10.2018 से 31.01.2019	20.02.2019	19010	4
कुल योग		3,37,991	

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि वर्ष 2018 में प्राप्त यूजर चार्जेस की राशि को रोकड़ बही में इंदराज नहीं किया गया है।

इस प्रकार यूजर चार्जेस की राशि को विलंब से जमा करने के कारण वित्तीय नियमो का उल्लंघन हुआ है, इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि भविष्य में यूजर चार्जेस को माहवार जमा किया जाएगा।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
	इकाई की प्रथम बार लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		इकाई की प्रथम बार लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी।		

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग–5

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिखडीखाल, पौडी गढवाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

2. सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अवधि
1	डा0 शैलेन्द्र बडथ्वाल	प्रभारी चिकित्साधिकारी	01.04.2012 से 06.11.2014 तक
2	डा0 मनीश अग्रवाल	प्रभारी चिकित्साधिकारी	07.11.2014 से 31.01.2015 तक
3	डा0 एस पी सिंह	प्रभारी चिकित्साधिकारी	01.02.2015 से 16.01.2016 तक
4	डा0 हरेन्द्र कुमार	प्रभारी चिकित्साधिकारी	17.01.2016 से 29.09.2018 तक
5	डा0 मो0 राशिद	प्रभारी चिकित्साधिकारी	30.09.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिखडीखाल, पौडी गढवाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र